राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भंवरदान बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि वादीगण की भूमि खसरा संख्या 156/1/1 रकबा 4 बीघा, खसरा नंबर 8 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा, स्थित ग्राम मिण्डक्या, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर के बाबत गत सेटलमेन्ट के समय रूडदान पुत्र हिंगलाजदान के स्थान पर भुप्रबन्ध अधिकारियो की गलती से करणीदान पुत्र खांगदान के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी। जबकि उक्त भूमि प्रारम्भ से ही रूडदान, आईदान व बिहारीदान के हक अधिकार की भूमि थी, उन्हीं का कब्जा था, गलत रिकार्ड के आधार पर राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि को करणीदान पुत्र खांगदान की खातेदारी मानते हुये, सिलिंग प्रकरण में अधिगृहित कर सिवाई चक दर्ज कर दी। जबकि उक्त भूमि करणीदान की नही होकर, वादीगण की थी। कब्जा वादीगण का था। दिनांक 22.02.2002 को कानूनी नोटिस प्रेषित किया, जिसका जवाब दिनांक 14.03.2002 को देने के बाद अंतिम बार दिनांक 14.04.2006 को वादीगण के नाम विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण की खातेदारी में दर्ज करवाने का अनुतोष चाहते हुये वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब वाद प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम की तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17/01/2025 पारित करते हुये विवादग्रस्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राजस्थान सरकार की सिवायचक भूमि दर्ज है। जिस पर किसी भी प्रकार से खातेदार अधिकार प्रदान नही किया जाना धारित करते हुये वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी एवं रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु विचाराधीन वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसे अधीनस्थ	427/2025	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भंवरदान बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	427/2025	

न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनदेखी करते हुये सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर ख़ारिज कर दिया गया है, जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय को घोषणा के बिन्दु के निस्तारण हेतु तनकीयात कायम कर साक्ष्य सबूत प्राप्त कर साक्ष्य सबूतों का तनकीवार विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया जाना आवशयक था किन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गम्भीर विधिक त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17/01/2025 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष यह अपील दिनांक 02/04/2025 को प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की गयी है एवं डिले कन्डोन करवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य न्यायोचित्त एवं स्वीकार योग्य जाहिर होने से प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना स्पष्ट होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17/01/2025 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये वाद का निस्तारण करे। तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।